

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्यिक शाखा)

जेपीआर5-392

क्र0जेपीडी/मुअ/अधी.अभि.(वा.)/सी.।/एफ.4(261)पार्ट-6/प्रे0 595

दि09,04-07

आदेश


विषय – ओएण्डएम/ग्रावि./एम एण्ड पी/आं.अंके./सतर्कता शाखा के अधिकारियों द्वारा भरी गई विजिलेन्स चैकिंग रिपोर्ट(VCR) की मोनिटरिंग के संबंध में।

आदेश क्रमांक अध्यक्ष/डिस्कॉम/त.स./एफ.एपीटीपीएस/प्रे0 111 दिनांक 13.04.06 (आदेश-06-09) के द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की समस्या से निदान पाने के लिये किये गये प्रावधानों को सुचारु एवं समन्वित रूप से चलाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इस आदेश के अनुच्छेद-8.4 के अनुसार VCR की प्रति अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता(सतर्कता) द्वारा संभागीय मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाती है।

इस विषय में संभागीय मुख्य अभियन्ता(जयपुर संभाग), जयपुर डिस्कॉम द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुच्छेद-8.4 में संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इन सुझावों पर विचार विमर्श प्रत्येक वीसीआर की उचित मोनिटरिंग हेतु अनुच्छेद-8.4 में आंशिक संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद - 8.4 के अनुसार प्रत्येक चैकिंग अधिकारी द्वारा भरी गई वी.सी.आर. की प्रति अन्य अधिकारियों के साथ-साथ संभागीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित की जाती थी अब उसे संभागीय मुख्य अभियन्ता के स्थान पर "वृत्त अधीक्षण अभियन्ता" (Circle Superintending Engineer) को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह आदेश, उपरोक्तानुसार तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से



(बी0 एल0 अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)